न्यायालय नायब तहसीलदार गुढागौड़जी जिला झुंझुनू

नाम पीठासीन अधिकारीः– ओमप्रकाश सिंघल निर्णय दिनांक :– 28.10.2022

सरकार बनाम इन्द्राज पुत्र हरूराम जाति गुर्जर निवासी रामनगर तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं

मुकदमा नम्बर :–124 / 2022

किस्म मुकदमा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक :– 28.10.2022

–: आदेश :–

भू.अ. निरीक्षक बडागांव एंव पटवारी पटवार हल्का नाटास द्वारा रिपोर्ट इस आश्य की पेश की गई है कि ग्राम रामनगर नाटास के भूमि ख.न. 105 किस्म, गै0मु0 नदी में से 1.00 है0 भूमि पर अप्रार्थी / अतिक्रमी इन्द्राज पुत्र हरूराम जाति गुर्जर निवासी रामनगर द्वारा उक्त भूमि पर जोत लगाकर अतिक्रमण कर रखा है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी /अतिक्रमी द्वारा दिनांक 26.08.2022 को स्वयं उपस्थित होकर जबाब नोटिस पेश किया जो निम्न प्रकार से हैः– यह है कि प्रार्थी द्वारा ग्राम रामनगर के खसरा न0 105 में 1.00 है0 किस्म गै0मु0नदी राजकीय भूमि पर फसल बाजरा काश्त कर अतिक्रमण किया जाना बताया गया है। ग्राम रामनगर के उक्त खसरा नम्बर 105 के संलग्न प्रार्थी की खातेदारी भूमि है जो कि बाहमी बंटवारे में प्रार्थी के हिस्से में है। प्रार्थी अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर ही काबिज काश्तकार है तथा जानबूझकर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं कर रखा है। प्रार्थी के खेत की सीमाएं अस्पष्ट होने के कारण यदि कोई अतिक्रमण हुआ है तो प्रार्थी द्वारा उसे हटा लिया जायेगा। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी के विरूध श्रीमान जी के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को निरस्त फरमाया जावें।

रिपोर्ट भू0अ0 निरीक्षक एंव पटवारी हल्का, एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कि ग्राम रामनगर नाटास के भूमि ख.न. 105 किस्म, गै0मु0 नदी में से 1.00 है0 भूमि पर अप्रार्थी / अतिक्रमी इन्द्राज पुत्र हरूराम जाति गुर्जर निवासी रामनगर द्वारा किया गया अतिक्रमण अवैध अतिक्रमण होने के कारण प्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। तथा भू0अ0 निरीक्षक बडागांव को इस अवैध अतिक्रमित भूमि पर से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल कर फर्द बेदखली रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें।

अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिये जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 1.50 का 50 गुणा 75 /– रूपये मात्र बतौर शास्ती जुर्माना राशि आरोपित किये जाते है। पटवारी हल्का एंव तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक..................को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Omprakash Singhal
Date: 2022.11.04 14:13:08 IST
Reason: SelfAttested

नायब तहसीलदार गुढागौड़जी

नायब तहसीलदार गुढागौड़जी